



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 10 सितम्बर 2023

थाना अरनिया

चोरी की घटना में वांछित 10,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 10.09.2023 को थाना अरनिया पुलिस द्वारा एक पुरस्कार घोषित अपराधी पापू उर्फ पप्पू को अवैध असलहा मय कारतूस सहित ग्राम महमदपूर कट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त थाना अरनिया पर पंजीकृत मुअसं- 14/21 धारा 379 भादवि व मुअसं 112/22 धारा 379 भादवि में लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 10,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना अरनिया पर मुअसं- 211/23 धारा 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. पापू उर्फ पप्पू पुत्र भब्ल निवासी ग्राम रोहिन्दा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1. 01 तमचा 32 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस।

अभियुक्त पापू उर्फ पप्पू का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 14/21 धारा 379 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
2. मु०अ०सं० 112/22 धारा 379 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
3. मु०अ०सं० 211/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० रामधुन सिंह
2. है०का० अरुण कुमार, का० सुमित कुमार



मीडिया सैल बुलन्दशहर